

## MAINS MATRIX- Integrate Your Knowledge, Ace the Exam

### **विषय सूची**

- 1.भारत में जन्म दर में गिरावट, दो साल में पहली बार कुल प्रजनन दर (TFR) में कमी
- 2.भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में ऐतिहासिक रुझान
- 3.ट्रम्प के टैरिफ युद्ध को वैश्विक दक्षिण के लिए अवसर के रूप में देखना
- 4.जीएसटी 2.0: भारत के कर सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर
- 5.भारत-चीन: एक सीमा का निर्माण
- 6.क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वाणिज्यिक भाषण को विनियमित किया जाना चाहिए?

**भारत में जन्म दर में गिरावट, दो साल में कुल प्रजनन दर (TFR) में पहली गिरावट**

स्रोत - द हिंदू (TH)

### **मुख्य डेटा**

पैरामीटर	2021	2022	2023	मुख्य अवलोकन और क्षेत्रीय विविधताएं
सकल जन्म दर (CBR) (प्रति 1000 लोग)	-	19.1	18.4	<b>0.7 अंकों की गिरावट। सबसे अधिक: बिहार (25.8)</b> सबसे कम: तमिलनाडु (12.0)
कुल प्रजनन दर (TFR) (प्रति महिला बच्चे)	2.0	2.0	1.9	दो साल में पहली गिरावट, अब प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे। 18 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रतिस्थापन स्तर से नीचे हैं।
उच्च TFR वाले राज्य (>2.1)	-	-	-	बिहार (2.8), उत्तर प्रदेश (2.6), मध्य प्रदेश (2.4), राजस्थान (2.3), छत्तीसगढ़ (2.2) सभी उत्तरी भारत में हैं।
निम्न TFR वाले राज्य	-	-	-	दिल्ली (1.2), पश्चिम बंगाल (1.3), तमिलनाडु (1.3), महाराष्ट्र (1.4)
वृद्ध जनसंख्या (>60 वर्ष की आयु का %)	-	9.0%	9.7%	एक वर्ष में 0.7 प्रतिशत अंक की वृद्धि। सबसे अधिक: केरल (15%) सबसे कम: असम, झारखण्ड (7.6%), दिल्ली (7.7%) [नोट: लेख में संभवतः 7.6% और 7.7% का अभिप्राय है, क्योंकि 76% असंभव है]

## अन्य प्रमुख जानकारी:

- प्रतिस्थापन स्तर TFR: एक पीढ़ी द्वारा स्वयं को प्रतिस्थापित करने के लिए एक महिला के पास औसतन बच्चों की संख्या (2.1) होनी चाहिए।
- डेटा स्रोत: भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय (RGI) द्वारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्व (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट।
- डेटा में विलंब: 2021 और 2022 की रिपोर्ट हाल ही में देरी के बाद जारी की गई थीं।

## यूपीएससी मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम में अनुप्रयोग

यह डेटा जीएस मेन्स और यहां तक कि निबंध पेपर के कई पेपरों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। यहां बताया गया है कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है:

### 1. जीएस पेपर I (भारतीय समाज और सामाजिक न्याय)

- जनसंख्या और संबंधित मुद्दे: यह सबसे सीधा अनुप्रयोग है।
  - उत्तर की भूमिका: भारत के महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर प्रकाश डालने के लिए डेटा का उपयोग करें। "1.9 के राष्ट्रीय TFR के साथ, भारत आधिकारिक तौर पर प्रतिस्थापन स्तर की उर्वरता से नीचे आ गया है, जो इसके जनसांख्यिकीय इतिहास में एक निर्णायक क्षण है।"
  - क्षेत्रीय असमानताएं: भारत के दिवि-सांख्यिकीय प्रोफाइल पर चर्चा करें। उच्च-उर्वरता वाले राज्यों (बिहार, यूपी) की तुलना कम-उर्वरता, उम्र बढ़ने वाले राज्यों (केरल, तमिलनाडु) से करें। यह जनसांख्यिकीय विभाजन का एक क्लासिक उदाहरण है।
  - कारण: कुछ राज्यों में उच्च TFR को महिला साक्षरता, गरीबी, बाल मृत्यु दर और परिवार नियोजन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता जैसे मुद्दों से जोड़ें।
  - बढ़ती उम्र की आबादी के परिणाम: बढ़ती वृद्धि जनसंख्या (9.7%) के आंकड़ों का उपयोग चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए करें: पेशन संकट, वृद्धावस्था देखभाल के लिए स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा, सामाजिक अलगाव और बदलता आश्रित अनुपात।

### 2. जीएस पेपर II (शासन, कल्याणकारी योजनाएं)

- सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप: सरकारी नीतियों की सफलता और विफलताओं का विश्लेषण करें।
  - CBR और TFR में समग्र गिरावट दशकों से चल रहे परिवार नियोजन और महिला सशक्तिकरण पहलों की सफलता के रूप में देखी जा सकती है।
  - "हिंदी हार्टलैंड" में लगातार उच्च TFR एक समान-आकार-फिट-सभी वृष्टिकोण के बजाय लक्षित, संदर्भ-विशिष्ट नीतियों की आवश्यकता का संकेत देता है।

### 3. जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था)

- आर्थिक विकास: जनसांख्यिकीय डेटा को आर्थिक संभावनाओं से जोड़ें।

- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** कम TFR वाले राज्यों के लिए, जनसांख्यिकीय लाभांश (एक बड़ी कामकाजी उम्र की आबादी) प्राप्त करने का अवसर सिकुड़ रहा है। ध्यान कौशल विकास और उत्पादकता वृद्धि पर स्थानांतरित होना चाहिए।
- **राजकोषीय चुनौतियां:** बढ़ती वृद्धि जनसंख्या सार्वजनिक वित के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है, जिसके लिए पेंशन प्रणालियों (जैसे OPS बनाम NPS बहस) और स्वास्थ्य बीमा (आयुष्मान भारत) में सुधार की आवश्यकता है।
- **क्षेत्रीय असमानता:** जनसांख्यिकीय विभाजन राज्यों के बीच आर्थिक असमानताओं को बढ़ाएगा। उच्च-उर्वरता वाले राज्यों को बढ़ती युवा आबादी को शिक्षा और रोजगार प्रदान करने में संघर्ष करना पड़ सकता है, जबकि दक्षिणी राज्यों को श्रम की कमी का सामना करना पड़ेगा।

### उत्तरों में उपयोग कैसे करें:

- **भूमिका के रूप में:** संदर्भ स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली डेटा पॉइंट के साथ अपना उत्तर शुरू करें।
- **साक्ष्य के रूप में:** अपने तर्कों की पुष्टि के लिए आंकड़ों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, "केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में देखा गया है, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश स्वाभाविक रूप से उर्वरता दर में गिरावट लाता है..."
- **निष्कर्ष के लिए:** भविष्य-उन्मुख नीतियों का सुझाव देने के लिए डेटा का उपयोग करें। "इसलिए, भारत की नीतिगत फोकस जनसंख्या नियंत्रण से विकसित होकर एक उम्र बढ़ने की आबादी के प्रभावों के प्रबंधन और अपनी मानव पूँजी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने पर होना चाहिए।"

**यूपीएससी उत्तरों के लिए कीवर्ड:** जनसांख्यिकीय संक्रमण, प्रतिस्थापन स्तर उर्वरता, जनसांख्यिकीय लाभांश, क्षेत्रीय असमानता, वृद्धि जनसंख्या, वृद्धावस्था देखभाल, आश्रित अनुपात, लक्षित नीति, मानव पूँजी।

### भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा में ऐतिहासिक रुझान

#### 1. प्रारंभिक लाभ (1990–2010)

- **निर्यात/जीडीपी अनुपात:** 7.1% (1990) → 20.4% (2010)
- **कारक:** उदारीकरण, वैश्वीकरण, आईटी क्रांति, डब्ल्यूटीओ एकीकरण।
- **माल और सेवाओं दोनों ने योगदान दिया।**

#### 2. गिरावट और ठहराव (2010–2024)

- **निर्यात/जीडीपी अनुपात:** 17.7% (2020), मामूली सुधारकर 21.2% (2024)।
- **वैश्विक माल निर्यात में हिस्सेदारी:** 0.51% (1990) → 1.81% (2024)
  - **⚡ पहले 20 वर्षों में लाभ → 2010 के बाद मंदी।**

#### 3. क्षेत्रवार प्रदर्शन

- **कृषि:** 0.85% → 2.22% (स्थिर वृद्धि)।

- ईंधन और खनन: 0.32% → 2.62% (पेट्रोलियम-नेतृत्व)।
- विनिर्माण: तीन गुना बढ़कर 1.73%, लेकिन समकक्षों से पिछड़ा।

○ **उज्ज्वल क्षेत्र:**

- वस्त्र** : 5.77%
- फार्मा** : 2.56%
- इस्पात** : 2.64%

#### 4. सेवाएं माल से बेहतर

- वैश्विक सेवा निर्यात में हिस्सेदारी: 2.9% (2010) → 4.2% (2024)
- मजबूत क्षेत्र: आईटी-बीपीएम, दूरसंचार, व्यावसायिक सेवाएं।
- कमजोर क्षेत्र: पर्यटन, परिवहन, शैक्षिक सेवाएं।

#### यूपीएससी छात्रों के लिए निष्कर्ष:

##### 1. सेवा-नेतृत्व वाली विकास मॉडल:

- भारत की निर्यात सफलता विनिर्माण के बजाय सेवाओं (आईटी-बीपीएम, दूरसंचार, व्यावसायिक सेवाएं) से प्रभावित है।
- यही कारण है कि भारत के विकास पथ को अक्सर "सेवा-नेतृत्व वाला औद्योगिकरण" कहा जाता है (पूर्वी एशिया के विनिर्माण-नेतृत्व वाले विकास से अलग)।
- जीएस-3 (अर्थव्यवस्था) और निबंध के लिए उपयोगी।

##### 2. प्रारंभिक लाभ, बाद में ठहराव:

- 1990–2010 के लाभ मुख्य रूप से सेवाओं (आउटसोर्सिंग बूम), विनिर्माण (टेक्सटाइल, फार्मा) और कृषि में हुए।
- एलपीजी सुधार, डब्ल्यूटीओ एकीकरण और आउटसोर्सिंग इसके प्रमुख कारक थे।
- 2010 के बाद की मंदी पहली पीढ़ी के सुधारों की सीमाओं को दर्शाती है।
- दूसरी पीढ़ी के सुधारों (लॉजिस्टिक्स, व्यापार सुविधा, एफटीए) की आवश्यकता है।
- जीएस-3 के उत्तरों में उपयोगी।

##### 3. कृषि और पेट्रोलियम पर निर्भरता:

- कृषि और ईंधन निर्यात में वृद्धि ने मदद की, लेकिन ये अस्थिर और अस्थायी हैं।
- भारत में अभी भी उच्च-तकनीक विनिर्माण प्रतिस्पर्धा का अभाव है।

- "मेक इन इंडिया" / आत्मनिर्भर भारत के मूल्यांकन में उपयोगी।

#### 4. विनिर्माण की कमज़ोरी:

- वैश्विक विनिर्माण निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अभी भी 2% से कम है।
- चीन और वियतनाम से पिछड़ने के कारण रोजगार संकट गहरा सकता है।
- जीएस-1 (उद्योग) और जीएस-3 (रोजगार नीति) के लिए प्रासंगिक।

#### 5. जनसांख्यिकीय और सामाजिक प्रभाव:

- निर्यात ठहराव से रोजगार सृजन कम होता है, जो युवा जनसंख्या के लिए जोखिम भरा है।
- सेवाएं कुशल श्रमिकों को लाभ पहुँचाती हैं, जबकि अकुशल श्रमिक पिछड़ जाते हैं।
- समाजशास्त्र वैकल्पिक के लिए प्रासंगिक (सामाजिक असमानता, वैश्वीकरण का प्रभाव)।

#### 6. नीतिगत सबक:

- निर्यात वृद्धि को बनाए रखने के लिए भारत को आवश्यकता है:
  - वैश्विक मूल्य शृंखला में एकीकरण
  - श्रम-गहन विनिर्माण को बढ़ावा
  - बेहतर व्यापार समझौते (एफटीए, आरसीईपी जैसे)
- जीएस-3 और निबंध में "आगे का रास्ता" बताने के लिए सीधे उपयोगी।

#### यूपीएससी के लिए एक-पंक्ति सारांश:

भारत का निर्यात सफर प्रारंभिक वैश्वीकरण से लाभ दिखाता है, लेकिन 2010 के बाद का ठहराव विनिर्माण में संरचनात्मक कमज़ोरियों और सेवाओं पर अत्यधिक निर्भरता को उजागर करता है। टिकाऊ विकास के लिए गहरे सुधारों, मूल्य शृंखला एकीकरण और विविधीकरण की आवश्यकता है।

#### ट्रम्प का टैरिफ युद्ध: वैश्विक दक्षिण के लिए एक अवसर

स्रोत - द हिंदू (TH)

लेखक

- सलमान खुर्शीद - पूर्व विदेश मंत्री
- पुष्पराज देशपांडे - निदेशक, समृद्ध भारत फाउंडेशन

#### 1. संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ नीतियाँ वैश्विक आर्थिक ढाँचे को पुनः आकार दे रही हैं।
- ये घरेलू राजनीति, संरक्षणवाद और रणनीतिक पुनर्निर्धारण से प्रेरित हैं।
- इसके प्रभाव वैश्विक हैं, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण (Global South) के लिए।

#### 2. ट्रम्प की प्रेरणाएँ

## 1. घरेलू राजनीति और समर्थक वर्ग को आकर्षित करना

- संरक्षणवाद ट्रम्प के मूल समर्थकों (श्वेत, श्रमिक वर्ग के अमेरिकी) को आकर्षित करता है।
- "अमेरिका फर्स्ट" की अवधारणा आर्थिक राष्ट्रवाद के समान है।
- विरोधी-वैश्वीकरण, विरोधी-आव्रजन की बयानबाजी।

## 2. एक रणनीतिक हथियार के रूप में टैरिफ़

- औसत अमेरिकी टैरिफ़ = 5.1% → अमेरिकी आयात का 70% कवर होने तक छलांग (गोल्डमैन सैक्स डेटा)।
- प्रभावित क्षेत्र: कृषि, डेयरी, वस्त्र, ऑटो, धातु।
- उद्देश्य: व्यापारिक भागीदारों से रियायतें प्राप्त कर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।

## 3. चीन से निपटना

- चीन के उदय को रोकने के लिए टैरिफ़ और प्रतिबंध।
- चीन के विरुद्ध द्विदलीय अमेरिकी सहमति।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बाजार पहुंच और व्यापार असंतुलन पर प्रतिक्रिया।

## 3. व्यापक वैश्विक प्रभाव

- वैश्विक दक्षिण में व्यवधान
- विकासशील राष्ट्र अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता के बीच फंसे।
- व्यापार और आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान।
- नए गठजोड़ के लिए अवसर खुलना।
- भू-राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
- रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़ाव।
- यूरोप का अमेरिका के करीब जाना।
- विकासशील राष्ट्रों पर ऊर्जा, बाजार, खाद्यान्न पर collateral प्रभाव।

## 4. भारत के लिए निहितार्थ

### चुनौतियाँ

- भारतीय निर्यात (वस्त्र, रत्न, ऑटो पार्ट्स, डेयरी) टैरिफ़ से प्रभावित।
- अमेरिका में भारतीय प्रवासी विरोधी-आव्रजन बयानबाजी की चपेट में।
- क्षेत्रीय दुविधा: अमेरिका और चीन दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करना।

### अवसर

YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT™

- भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज बन सकता है।
- निम्न के लिए जगह बनाने का अवसर:
- लोकतांत्रिक बहुपक्षवाद।
- वैश्विक संस्थानों में संतुलन।
- राष्ट्रीय विकास और आत्मनिर्भरता में निवेश।
- रणनीतिक विकल्प:
- विनिर्माण क्षमता बढ़ाएँ।
- घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत करें।
- आपूर्ति शृंखलाओं में resilience (सहनक्षमता) का निर्माण करें।

## 5. भारत के लिए नीतिगत सुझाव

- वैश्विक दक्षिण नेतृत्व का लाभ उठाएँ
  - भारत को एक स्थिरकारी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करें।
  - डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का समर्थन करें।
- आर्थिक रणनीति
  - विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास (R&D), मानव पूँजी में निवेश करें।
  - आयात निर्भरता कम करें।
  - दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South cooperation) का निर्माण करें।
- कूटनीतिक संतुलन
  - अमेरिका, चीन, रूस के साथ संबंधों का प्रबंधन करें।
  - अमेरिका-चीन संघर्ष में उलझने से बचें।
  - बहुधुवीय जुड़ाव (multipolar engagement) पर ध्यान केंद्रित करें।

## 6. प्रमुख उद्धरण/अंतर्दृष्टि

- "भारत को इस बहुसंकट (polycrisis) का लाभ उठाकर विश्व के भू-आर्थिक और राजनीतिक ढाँचे को पुनर्जागरण करना चाहिए।"
- "भारत चीन और अमेरिका दोनों के लिए एक प्रतिकारक (counterweight) भी हो सकता है।"
- "संतुलित बहुपक्षीय संस्थानों के निर्माण में वैश्विक दक्षिण को भारत के नेतृत्व की आवश्यकता है।"

### मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम में उपयोग कैसे करें

#### 1. जीएस पेपर II: शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध

यह विषय का सबसे प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है।

- भारत और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते:
  - विश्लेषण:** लेख वैश्विक समूहों (जैसे डब्ल्यूटीओ) में व्यवधान और नए संरेखणों के निर्माण से सीधे संबंधित है।
    - डब्ल्यूटीओ में संकट: ट्रम्प की एकतरफा टैरिफ डब्ल्यूटीओ के मूल सिद्धांतों (अभेदभाव, पूर्वानुमेयता) को कमज़ोर करते हैं। यह बहुपक्षीय संस्थानों की प्रासंगिकता और सुधार पर प्रश्नों के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी है।
    - नए क्षेत्रीय संरेखण: अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता से उत्पन्न शून्य वैश्विक दक्षिण के देशों को नए साझेदारी (जैसे भारत-आसियान संबंध, अफ्रीका के साथ गहन जुड़ाव) बनाने के लिए मजबूर करता है। यह भारत की "एकट ईस्ट पॉलिसी" और "फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC)" के अनुरूप है।
    - क्वाड और इंडो-पैसिफिक: अमेरिका में चीन-विरोधी रुख में द्विदलीय सहमति है, जो क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) जैसे समूहों को मजबूत करती है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक की सुनिश्चितता है। इसका उपयोग व्यापार नीतियों के रणनीतिक आयाम पर चर्चा के लिए किया जा सकता है।
  - विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव:**

- **विश्लेषण:** यह लेख का मूल है। इसका उपयोग निम्नलिखित पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कर सकते हैं:
    - एक विकसित देश (अमेरिका) की घरेलू राजनीति वैश्विक व्यापार और विशेष रूप से भारत को कैसे प्रभावित करती है (जैसे भारतीय निर्यात - टेक्सटाइल, रत्न, ऑटो पार्ट्स पर प्रभाव)।
    - भारत की राजनयिक चुनौती: अमेरिका (एक रणनीतिक साझेदार) और चीन (एक प्रमुख आर्थिक साझेदार और पड़ोसी) के साथ संबंधों को संतुलित करना।
    - अमेरिका की विरोधी-आप्रवासन बयानबाजी का भारतीय प्रवासी पर प्रभाव, जिसे भारत की सॉफ्ट पावर और "प्रवासी कूटनीति" की अवधारणा से जोड़ा जा सकता है।
  - **भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध:**
    - **विश्लेषण:** यह सीधे तौर पर तात्कालिक पड़ोसियों के बारे में नहीं है, लेकिन अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता का दक्षिण एशिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप चर्चा कर सकते हैं:
      - कैसे छोटे पड़ोसी (जैसे बांगलादेश, श्रीलंका) पक्ष चुनने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जो भारत को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विकल्प के रूप में नेतृत्व और आर्थिक विकल्प प्रदान करने का अवसर देता है।
      - एक विखंडित दुनिया में भारत की भूमिका "प्रथम प्रतिक्रियादाता" और "हिंद महासागर क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता" के रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है।
2. जीएस पेपर III: अर्थव्यवस्था, कृषि, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन आर्थिक और रणनीतिक निहितार्थ इस पेपर का एक प्रमुख हिस्सा हैं।
- **भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटान, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे:**
    - **विश्लेषण:** लेख के "नीतिगत सुझाव" यहां सीधे प्रासंगिक हैं।
      - **आत्मनिर्भर भारत:** टैरिफ युद्ध को इस नीति की आवश्यकता को स justify करने के संदर्भ के रूप में उपयोग करें। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान एक जोखिम है जो घरेलू विनिर्माण क्षमता और लचीलापन बनाने की आवश्यकता बताता है।
      - **निर्यात-नेतृत्व वाली विकास बनाम घरेलू मांग:** विकसित बाजारों में संरक्षणवाद का भारत की निर्यात रणनीति पर प्रभाव पर चर्चा करें। एक संतुलित व्यविधि की वकालत करें जो घरेलू मांग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक दीक्षिण में नए बाजारों को भी capture करें।
      - **ईज ऑफ इंडिया बिजनेस और विनिर्माण:** चीन से बाहर जा रही आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकर्षित करने के लिए, भारत को बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और व्यापारिक माहौल (जैसे पीएलआई योजनाएं) में सुधार पर दोगुना ध्यान देना चाहिए।
  - **अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव:**

- विश्लेषण: ट्रम्प की नीतियां शीत युद्ध के बाद के उदारवादी विश्व व्यवस्था में पीछे हटने का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका उपयोग अति-वैश्वीकरण के लाभ और कमियों की समीक्षा करने और एक अधिक सतर्क, रणनीतिक एकीकरण के दृष्टिकोण के लिए तर्क देने के लिए किया जा सकता है।

## जीएसटी 2.0: भारत के कर सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर

लेखक: चंद्रजीत बनर्जी, महानिदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)

घटना: 3 सितंबर, 2025 को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक

केंद्रीय थीसिस: यह बैठक एक निर्णायक मील का पत्थर है, जो एक विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप एक सरल, न्यायसंगत और विकास-उन्मुख कर प्रणाली की ओर बदलाव का प्रतीक है।

### 1. मूल संरचनात्मक सुधार: सरलीकृत कर स्लैब

- पिछली प्रणाली: कई स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%)
- नई प्रणाली ("सरल कर"):
  - मानक दर: 18%
  - मेरिट दर (आवश्यक वस्तुएं): 5%
  - डी-मेरिट दर (हानिकारक वस्तुएं): 40% (कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए)
- लाभ: अनुपालन बोझ कम करता है, व्यवसायों के लिए भविष्यवाणी बढ़ाता है, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करता है।

### 2. प्रमुख परिवर्तन और उनके प्रभाव

#### A. घरों और उपभोक्ताओं के लिए राहत

- 5% पर कम हुई: साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, साइकिल, रसोई के बर्तन।
- उल्लेखनीय दरों में कटौती: पैकड़ फूड, नूडल्स, चॉकलेट, पेय पदार्थ (उपभोग बढ़ाने के लिए)।
- मुक्त (0% जीएसटी): अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, पनीर, चपाती, पराठा।

#### B. बीमा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा

- बीमा: सभी जीवन और स्वास्थ्य बीमा उत्पाद अब जीएसटी से मुक्त हैं।
  - प्रभाव: बीमा को अधिक किफायती बनाता है, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और कम आय वाले परिवारों के लिए; बीमा प्रवेश दर बढ़ाता है।
- स्वास्थ्य सेवा: छूट और कमी:
  - आवश्यक दवाएं और उपकरण।
  - कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और पुरानी बीमारियों के इलाज पर।
  - प्रभाव: दवाओं तक व्यापक पहुंच, परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करता है।

### C. कृषि के लिए समर्थन

- 5% जीएसटी पर कम हुई: ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, महत्वपूर्ण उपकरण।
- 18% से घटाकर 5%: उर्वरक, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनिया।
- प्रभाव: खेती की लागत कम करता है, कृषि उत्पादकता में सुधार करता है, उलटी कर संरचना (inverted duty) को ठीक करता है।

### D. श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन

- लाभान्वित होने वाले क्षेत्र: हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट, चमड़े का सामान।
- प्रभाव: मांग को उत्तेजित करता है, रोजगार सुरक्षित करता है, पारंपरिक उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है।

### E. महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार

- टेक्स्टाइल: मानव निर्मित फाइबर और यार्न पर 5% की कमी।
  - प्रभाव: लंबे समय से चली आ रही उलटी कर संरचना को ठीक करता है, प्रतिस्पर्धात्मकता, निर्यात, रोजगार सृजन और घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देता है।
- सीमेंट: 28% से घटाकर 18%।
  - प्रभाव: निर्माण और बुनियादी ढांचे में गुणक प्रभाव (multiplier effects) पैदा करता है।
- हरित विकास: भारत के हरित संक्रमण को तेज करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और ऑटोमोटिव घटकों पर दरों में कटौती।

## 3. संस्थागत और प्रक्रिया सुधार

- GSTAT का संचालन: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल (GSTAT) वर्ष के अंत तक operational हो जाएगा।
  - प्रभाव: तेज विवाद समाधान, अधिक सुसंगत निर्णय, प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा।
- अन्य प्रक्रिया सुधार:
  - उलटी कर संरचना के लिए अनंतिम (Provisional) रिफंड।
  - जोखिम-आधारित अनुपालन बोझ।
  - मूल्यांकन नियमों का सामंजस्य (Harmonisation)।
  - प्रभाव: अनिश्चितता और अनुपालन लागत कम करता है, व्यवसाय करने में आसानी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।

## 4. उद्योग (सीआईआई) की भूमिका और सरकारी दृष्टिकोण

- सीआईआई की वकालत:** लेख में उल्लेख है कि सीआईआई ने लगातार इन सुधारों की वकालत की थी, जिसमें दो-दर संरचना, विसंगतियों का सुधार और GSTAT का operationalization शामिल है।
- सरकार का दृष्टिकोण:** उत्तरदायी के रूप में वर्णित और उद्योग के साथ गहरी साझेदारी की भावना प्रदर्शित करता है।
- कार्यान्वयन:** सुधारों को 22 सितंबर, 2025 से सावधानीपूर्वक चरणबद्ध किया गया है ताकि राजस्व स्थिरता सुनिश्चित हो सके, साथ ही तत्काल लाभ मिल सके।

## 5. समग्र महत्व और निष्कर्ष

- तकनीकी समायोजन से अधिक:** इसे "जनता के सुधार" के रूप में चिह्नित किया गया है जो नागरिकों, किसानों, श्रमिकों, व्यवसायों और उद्यमियों को लाभान्वित करता है।
- परिणाम:** जीएसटी 2.0 ने भारत की विकास यात्रा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है:
  - संरचना को सरल बनाकर।
  - आवश्यक वस्तुओं पर दर्द कम करके।
  - विसंगतियों को सुधारकर।
  - संस्थानों को मजबूत करके।

### यूपीएससी मुख्य परीक्षा में विभिन्न प्रश्न-पत्रों में उपयोग कैसे करें

1. **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटान, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे यह इस विषय का सबसे सीधा और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है।

- सरकारी बजट और राजकोषीय नीति:**
  - संसाधन जुटाना:** सरलीकृत दो-दर संरचना कर अनुपालन में सुधार और कर आधार को व्यापक बनाना चाहती है, जिससे Laffer Curve सिद्धांत के अनुसार राजस्व में संभावित वृद्धि हो सकती है।
  - संघवाद और वित्त:** जीएसटी परिषद सहकारी संघवाद का एक शानदार उदाहरण है, जो राजकोषीय मामलों पर केंद्र-राज्य वार्ता को सुगम बनाती है।
  - सब्सिडी और कर व्यय:** आवश्यक वस्तुओं को छूट देना एक अप्रत्यक्ष सब्सिडी का काम करता है, हालांकि यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की तुलना में कम कुशल है जो अधिक लक्षित होते हैं।
- अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव:**
  - सामान्य राष्ट्रीय बाजार:** एक वास्तव में एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाकर, जीएसटी 2.0 दक्षता बढ़ाता है और व्यवसाय करने में आसानी (Ease of Doing Business) को काफी बढ़ावा देता है।
- समावेशी विकास और उससे उत्पन्न मुद्दे:**

- सामाजिक सुरक्षा: जीवन और स्वास्थ्य बीमा को छूट देना उन्हें सस्ता बनाता है, जिससे निम्न-आय वर्गों तक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार होता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।
- कृषि और रोजगार: कृषि आदानों और श्रम-गहन क्षेत्रों पर जीएसटी कम करने से लागत घटती है, उत्पादकता बढ़ती है और रोजगार सुरक्षित होता है।
- अवसंरचना (Infrastructure):
  - विकास के लिए उत्प्रेरक: सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने से निर्माण लागत कम होती है, जो अवसंरचना-नेतृत्व वाले विकास के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है।
- निवेश मॉडल:
  - निजी निवेश को प्रोत्साहन: अनुपालन लागत कम करने और नीतिगत भविष्यवाणी बढ़ाने से यह निजी निवेश, विशेष रूप से विनिर्माण में, को प्रोत्साहित करता है।

## 2. जीएस पेपर II: शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मुख्य रूप से आर्थिक होने के बावजूद, जीएसटी के गहन शासन और राजनीतिक आयाम हैं।

- केंद्र और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां:
  - सहकारी संघवाद: जीएसटी परिषद एक अनूठे संघीय संस्थान के सफल कामकाज को दर्शाती है जो सहमति से जटिल केंद्र-राज्य मुद्दों का समाधान करती है।
  - सहमति की चुनौती: इसकी मुख्य चुनौती विभिन्न राजनीतिक एजेंडे और आर्थिक प्राथमिकताओं वाले राज्यों के बीच सहमति प्राप्त करना है।
- असुरक्षित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं:
  - राजकोषीय कल्याण: आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवा पर जीएसटी छूट राजकोषीय नीति कल्याण का एक रूप है, जो असुरक्षित वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करती है।

## 3. जीएस पेपर IV: नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृति

इस प्रमुख सुधार के पीछे की निर्णय लेने की प्रक्रिया समृद्ध मैतिक आयाम प्रदान करती है।

- शासन में नैतिकता:
  - उत्तरदायित्व: उद्योग की सिफारिशों को परिषद द्वारा स्वीकार करना एक हितधारक चिंताओं के प्रति उत्तरदायी सरकार को दर्शाता है।
  - पारदर्शिता: एक सरल दो-दर संरचना एक अधिक पारदर्शी प्रणाली बनाती है, जो अस्पष्टता और अष्टाचार की संभावना को कम करती है।
  - सहमति: सहमति के आधार पर परिषद का संचालन सहभागी शासन और नैतिक निर्णय लेने को दर्शाता है।

### भारत-चीन: एक सीमा का निर्माण

#### 1. संदर्भ

- भारत की सीमा चीन के साथ दो सामाजियों (मंचू – चीन और ब्रिटिश – भारत) की उपज है।
- हिमालय की ऊँचाई पर स्थित, लगभग निर्जन और अस्पष्ट।
- स्वतंत्रता के बाद: भारत ने स्पष्ट सीमांकन चाहा, लेकिन वार्ता नहीं हुई।
- भारतीय स्थिति ब्रिटिश-युग के नक्शों पर आधारित रही, ज़मीनी नियंत्रण पर नहीं।

## 2. संघर्ष की शुरुआत

- अक्साई चिन में चीन:
  - तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने के लिए अक्साई चिन में राजमार्ग बनाया।
  - भारत को यह सङ्क बनने के बाद ही पता चला।
- तिब्बत में चीन:
  - 1950 के बाद नियंत्रण कड़ा किया।
  - 1914 का शिमला समझौता / मैकमहोन रेखा को अस्वीकार किया।

## 3. चीनी प्रस्ताव (1950–1960 के दशक)

- 1959: झोउ एनलाई ने "स्वैप डील" सुझाई → भारत अक्साई चिन छोड़ दे, चीन मैकमहोन रेखा स्वीकार करे।
- 1960: दोबारा प्रस्ताव →
  - भारत अक्साई चिन पर चीनी नियंत्रण स्वीकार करे।
  - चीन अरुणाचल प्रदेश पर भारत का नियंत्रण स्वीकार करे।
- भारत ने इनकार किया → 1962 भारत-चीन युद्ध।

## 4. युद्ध के बाद के विकास

- 1960–70 के दशक:
  - छिटपुट झाड़पे, कोई समाधान नहीं।
  - 1975: नाथू ला संघर्ष।
- 1980 का दशक:
  - देंग शियाओपिंग का "पैकेज डील" प्रस्ताव → पश्चिम (अक्साई चिन) चीन को, पूर्व (अरुणाचल) भारत को।
  - 1981–87: सीमा वार्ता; असफल।
  - 1987: सैन्य संकट, ऑपरेशन फाल्कन, मैकमहोन रेखा पर तनाव।

## 5. सामान्यीकरण की ओर कदम

- 1988: राजीव गांधी की चीन यात्रा → सामान्यीकरण की शुरुआत।
- दोनों पक्षों ने सीमा विवाद को टालकर व्यापक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति जताई।
- दैंग का राजीव गांधी से कथन - “दोनों पक्ष अप्रिय अतीत को भूल जाएं”

## 6. वार्ता में मुख्य मुद्दे

- चीन की मांग:
  - अक्साई चिन पर उसके नियंत्रण को मान्यता।
  - तवांग (अरुणाचल) को समझौते का हिस्सा बनाना (धार्मिक/सांस्कृतिक महत्व)।
- भारत की चिंता:
  - चीन का मैकमहोन रेखा को मान्यता न देना।
  - निरंतर सैन्य निर्माण।

## 7. आगे के विकास

- 1990 के बाद:
  - विश्वास-निर्माण समझौते हुए।
  - फिर भी सीमा समाधान नहीं।
  - "शांति और स्थिरता" पर सहमति, लेकिन स्थिति यथावत विवादित।
  - भारत का आग्रह → मौजूदा सीमा (LAC) का सम्मान।
  - चीन का रुख → क्षेत्रीय रियायतों की आवश्यकता।

## 8. सार

- 1950 के दशक तक अक्साई चिन में न भारत न चीन का स्थायी ठिकाना था, जब तक चीन ने सड़क नहीं बनाई।
- 1960: झोउ का "स्वैप" प्रस्ताव → भारत ने अस्वीकार किया → 1962 युद्ध।
- 1988: राजीव गांधी की यात्रा से सामान्यीकरण।
- सीमा मुद्दा अब भी अनसुलझा, शांति केवल LAC के सम्मान पर निर्भर।

**क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वाणिज्यिक भाषण को विनियमित किया जाना चाहिए?**

(अपार गुप्ता - अधिवक्ता, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन | जय विनायक ओड्डा - पॉलिसी फेलो)  
स्रोत: द हिंदू

## 1. संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय (25 अगस्त) ने केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पर वाणिज्यिक/मुक्त भाषण को विनियमित करने के दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।
- यह स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) रोगियों के समूह की याचिका से प्रेरित था, जिसने कॉमेडियन द्वारा इस विकार पर अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ मांग की।
- डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम विनियमन की बहस छिड़ गई।

## 2. क्या नए विनियमन आवश्यक हैं?

अपार गुप्ता (एजी):

- मौजूदा कानून (आईटी अधिनियम, आईपीसी) पहले से ही कार्रवाई की अनुमति देते हैं; नए ढांचे की आवश्यकता नहीं है।
- न्यायालय की आशंकाएँ राज्यों द्वारा प्रावधानों के दुरुपयोग (जैसे महाराष्ट्र मामले) से उपजी हैं।
- नए विनियमन = अतिक्रमण।

जय विनायक ओङ्का (जेवीओ):

- कानून पर्याप्त हैं; व्यक्तिगत आपत्तिजनक प्रावधान पहले से ही अदालतों में बहस के विषय रहे हैं।
- केवल एक घटना के आधार पर विस्तृत ढांचा बनाना अत्यधिक है।

## 3. भाषण पर प्रतिबंध के आधार के रूप में व्यक्तिगत गरिमा?

जेवीओ:

- संविधान केवल विशिष्ट आधारों पर प्रतिबंध की अनुमति देता है: राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, शालीनता।
- "गरिमा" बहुत अस्पष्ट/व्यक्तिपरक है → कला, कॉमेडी, व्यंग्य की सेंसरशिप का जोखिम।
- गरिमा की रक्षा करना = फिसलन भरी ढलान → मनमाना दमन।

एजी:

- आपत्तिजनक चुटकुलों का समर्थन नहीं करते।
- लेकिन नए नियम "गरिमा" जैसे अस्पष्ट मानकों पर आधारित नहीं होने चाहिए।

## 4. दुरुपयोग और भाषण को दबाने का जोखिम

- विनियमन राजनीतिक हास्य, व्यंग्य, असंतोष को दबा सकते हैं।
- साहित्य/कॉमेडी अक्सर विचलित और विचारोत्तेजक होते हैं — इनकी रक्षा की जानी चाहिए।
- उदाहरण: भारत संघ बनाम मोशन पिक्चर एसोसिएशन (2016) में अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखा और अस्पष्ट प्रतिबंधों को रद्द किया।

## 5. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का लाभ-केंद्रित स्वरूप

जेवीओ:

- डिजिटल वाणिज्यिक भाषण = लाभ-केंद्रित लेकिन फिर भी सार्वजनिक प्रवचन का हिस्सा।
- उदाहरण: असंतोष दबाने के लिए अखबार का प्रसार काटना (साकल पेपर्स बनाम भारत संघ, 1962) → लाभ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावी नहीं हो सकता।
- ऑनलाइन भाषण को केवल वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता।

एजी:

- वाणिज्यिक भाषण = अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा (पत्रकार, कॉमेडियन, कलाकार)।
- इसे केवल "विज्ञापन" के रूप में संकीर्ण रूप से विनियमित नहीं किया जा सकता।

## 6. न्यायिक पूर्वाधिकार और स्थिरता

- सर्वोच्च न्यायालय की "बहुवचनता" → विभिन्न पीठों द्वारा असंगत फैसले।
- न्यायिक विखंडन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर स्पष्टता को कमज़ोर करता है।
- वर्तमान मामला कार्यपालिका के अतिक्रमण को दर्शाता है (ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल के तहत सरकार द्वारा अस्पष्ट नियम बनाना)।

## 7. विनियमन में कौन से सुरक्षा उपाय होने चाहिए?

- मजबूत समीक्षा + निवारण तंत्र।
- हितधारकों (उपयोगकर्ताओं, नागरिक समाज, उद्योग) के साथ सार्थक परामर्श।
- सरकारी हटाने के आदेशों में पारदर्शिता (अक्सर अस्पष्ट, आईटी अधिनियम की धारा 69ए)।
- व्यापक प्रतिबंधों, अस्पष्ट सेंसरशिप से बचें।

**यूपीएससी मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम में उपयोग कैसे करें**

### जीएस पेपर II: शासन, संविधान, राजव्यवस्था

- मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)):** यह बहस डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे की जाँच करती है। वाणिज्यिक भाषण (जैसे कॉमेडी, पत्रकारिता) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और इसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
- युक्तिसंगत प्रतिबंध (अनुच्छेद 19(2)):** "व्यक्तिगत गरिमा" प्रतिबंध का वैध आधार नहीं है, क्योंकि यह अस्पष्ट और मनमाना सेंसरशिप की ओर ले जाता है।
- न्यायिक समीक्षा:** न्यायपालिका का कार्यपालिका को दिशा-निर्देश बनाने का निर्देश देना न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है, लेकिन मौजूदा कानून पर्याप्त हैं।
- कार्यपालिका का अतिक्रमण:** सरकार द्वारा अस्पष्ट नियम बनाना अतिक्रमण है, जिससे राजनीतिक विरोध दब सकता है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही:** सरकारी हटाने के आदेशों में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि मनमानी रोकी जा सके।
- नागरिक समाज की भूमिका:** रोगी समूह की याचिका ने दिखाया कि नागरिक समाज न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नीति निर्माण को प्रभावित कर सकता है।

### जीएस पेपर III: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- आईटी और शासन:** डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का विनियमन एक चुनौती है। पुराने कानूनों को आधुनिक तकनीक के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।

- **आंतरिक सुरक्षा:** सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों (जैसे अफवाह, घृणा फैलाना) को रोकने के साथ-साथ लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना आवश्यक है।

#### जीएस पेपर IV: नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति

- **शासन में नैतिकता:** नीति निर्माताओं को नागरिकों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना होगा।
- **टकराव में मूल्य:** पारदर्शिता बनाम गोपनीयता, जवाबदेही बनाम सेंसरशिप के बीच संतुलन आवश्यक है।
- **भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ:** विनियमन का दुरुपयोग राजनीतिक दमन के लिए हो सकता है, जो भ्रष्टाचार का एक रूप है।
- **केस स्टडी:** "एक वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में, आप गरिमा की रक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाएँगे?" एक अच्छे उत्तर में हितधारकों की भागीदारी और निवारण तंत्र शामिल होंगे।

#### उत्तर लेखन के लिए मुख्य उद्धरण/अंतर्दृष्टि:

- **न्यायिक भूमिका पर:** "अच्छे इरादों के बावजूद, न्यायपालिका को कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए।"
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर:** "एक जीवंत लोकतंत्र में, उचित सीमाओं के भीतर आपत्ति जताने का अधिकार आवश्यक है।"
- **विनियमन पर:** "विनियमन का लक्ष्य सेंसरशिप नहीं, बल्कि एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाना होना चाहिए।"

**MENTORA IAS**  
“YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT”